



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.**  
**BENGALURU - 560 037**

वर्ग अनुमोदन सं. 1518 का संशोधन सहित नवीकरण/

**Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1518**

विषय/Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ1-एफ/टी प्रोब, पार्ट सं. 1874 00 000/  
**Fuel Content Gauge (FCG), F1-F/T Probe, Part No. 1874 00 000**

यह घोषित किया जाता है कि ए एस ई आर डी सी, मेसर्स एच ए एल, लखनऊ- 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 द्वारा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ1-एफ/टी प्रोब" पार्ट सं. 1874 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1518, दिनांक 29 सितंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1518 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

*This is to state that the "Fuel Content Gauge (FCG) , F1-F/T Probe" bearing the Part No. 1874 00 000, Designed, Developed by ASERDC, M/s HAL, Lucknow - 226 016 and Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval No. 1518 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1518, Dated: 29<sup>th</sup> September 2010 which was valid up to 31<sup>st</sup> December 2015.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), द्वारा एच ए एल लखनऊ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), C/o. HAL Lucknow Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/56070/टीए-1518, दिनांक 29 सितंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

*The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/56070/TA-1518, Dated: 29<sup>th</sup> September 2010 will be Amended as stated herewith.*

अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.*

4. वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।


*All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1518/1R

दिनांक/Date : 19 July 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

  
12/07/16

  
12/07/16



पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)